3. गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए सहायता

वैश्विक नारियल व्यापार में त्वरित वृद्धि और नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण उत्पादन की गुणवत्ता प्रणाली स्थापित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। व्यापार में मानकों की महत्ता देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करने से उत्पाद का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। नारियल उत्पादों और पैकेजिंग की गुणवत्ता उत्पाद के बाजार विकास को बढ़ावा देने में प्रबल भूमिका निभाती है। ग्राहकों और उपभोक्ताओं के चयन संबंधी निर्णय पर उत्पाद के गुणवत्ता प्रमाणपत्रों काबहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।

गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कई प्रकार के गुणवत्ता प्रमाणीकरण मौजूद हैं जिनमें गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन आदि प्रणालियां शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रक्रिया/उत्पाद का गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि बेहतर बाजार विकास हो सके। इनमें आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएएस (परिचालन स्वास्थ्य सुरक्षा), आईएसओ 22000 और एफएसएससी 22000 (खाद्य सुरक्षा), एचएसीसीपी (महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं पर खतरा विश्लेषण), आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन), आईएसओ 28000 (आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन) आदि और अन्य प्रमाणीकरण जैसे जैविक, निष्पक्ष व्यापार, अच्छे विनिर्माण अभ्यास, अच्छे स्वच्छ अभ्यास आदि शामिल हैं।

भारत सरकार भी गुणवत्ता प्रमाणीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने भारतीय खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनके नाम हैं भारत जीएचपी और भारत एचएसीसीपी प्रमाणीकरण योजनाएं, जो विश्व स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों पर आधारित हैं। ये योजनाएं भारत के खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समयसाध्य विदेशी प्रमाणपत्रों के बिना वैश्विक मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने में भी मदद करेंगी क्योंकि कई देशों ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एचएसीसीपी को अनिवार्य कर दिया है और अधिकांश विकसित देशों ने सभी खाद्य क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्यकर व्यवहार (जीएचपी) को अनिवार्य कर दिया है। एफएसएसएआई खाद्य उद्योग को भारत एचएसीसीपी मानक को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, यद्यपि इसने अपने लाइसेंसिंग नियमों के ज़रिए स्वच्छता एवं आरोग्य संबंधी प्रथाओं को अनिवार्य बना दिया है।

<u>गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना:</u>

इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रमाणीकरण और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

- इच्छुक उद्यमियों या निर्माता निर्यातकों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- प्रस्ताव में गुणवत्ता प्रणालियों और आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत संघटकवार शुल्क संरचना शामिल होनी चाहिए।
- प्रमाणीकरण प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के ज़रिए किया जाना चाहिए।
- आवेदनों की जांच आंतरिक छानबीन समिति द्वारा की जाएगी।
- **प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रमाणीकरण और आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों की लागत का 50% प्रतिपूर्ति अधिकतम 5 लाख रुपए तक है।**
- प्रमाणीकरण प्रक्रिया, गुणवत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन, आवेदन शुल्क, प्रासंगिक मानकों के लिए उत्पाद परीक्षण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, अग्रिम लाइसेंस शुल्क, निगरानी शुल्क, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना आदि से संबंधित व्यय के लिए सहायता दी जाएगी।
- आवेदकों को दावे के साथ प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के प्रमाण के रूप में सरकारी सूचीबद्ध एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- कोषेर, हलाल या किसी अन्य धार्मिक प्रमाणीकरण के लिए सहायता पात्र नहीं है।
- सिविल कार्य, एसी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, कांच के बर्तन, रसायन, उपभोग्य वस्तुएं आदि सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

नारियल उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे देशीय और निर्यात बाजार की मांग को विकसित करने और बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में नारियल उद्योग में उछाल के साथ, यह सही समय है कि हमारे प्रक्रमणकर्ता/निर्यातक अधुनातन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए सुसज्जित हों।